


कार्यालय, अधिष्ठाता,
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1685/एम.सी./04/2020

भोपाल दिनांक 13/4/2020

विज्ञप्ति

इस महाविद्यालय के आदेश क्रमांक 10425/एम.सी./04/2020 दिनांक 13/04/2020 द्वारा जारी विज्ञप्ति के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु प्राप्त आवेदन में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के वो छात्र जिनके द्वारा दिनांक 31/03/2020 तक इंटर्नशिप अवधि पूर्ण की जा चुकी है को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 22/संचिशि/2020 दिनांक 01.04.2020 में दिये गये निर्देशो एवं मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल के पत्र क्रमांक एमपीएमसी/बाण्ड/2020/2131 दिनांक 07/04/2020 के परिपालन में प्राथमिकता दी जावेगी।


अधिष्ठाता,

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

